हुक्म

28/2/25 - वकील प्रतिवादी उपस्थित। वादी एवं उनके वकील उपस्थित नहीं। उन्हें कई बार आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया, प्रकरण में वादीगण को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु कई अवसर दिये जा चुके हैं लेकिन उनके द्वारा तलबी का स्टेप नहीं लिया गया है। उनका यह कृत्य उनकी प्रकरण के प्रति रुचि नहीं रखने को दर्शाता है। दावे के चलाने हेतु विधेय प्रक्रियाओं की पूर्ति की जिम्मेदारी वादी की होती है। अतः दावा वादी। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 8 के प्रावधानों के अन्तर्गत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर आर्काइल रूपतर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर पुलिस लाइन
जोधपुर (राज.)